न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 14 सन 2018

अनवान :–

1. नरपतसिह पुत्र मदनसिह जाति राजपूत सानिक गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 43/38 के प0न0 403/445(17) के किला न0 1 ता 25 की कुल 6.1990हैक भूमि प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त वाद भूमि के प0न0 403/445(17) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.228हैक दर्ज कर रखा है शेष भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खाला दर्ज कर रखा है लेकिन नहर का निर्माण होने पर चकस्कीम रिवाईज होने पर सीऐडी विभाग के द्वारा उक्त खाला को निरस्त किया जाकर संशोधित चक स्कीम के अनुसार अन्यत्र खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिये प0न0 403/445(17) किला न0 1 ता 5 में मौके पर कोई खाला नही है वादी के कब्जा काश्त में है वादी ही काश्त करता आ रहा है।

सीऐडी विभाग के द्वारा चक स्कीम बदलने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व चक स्कीम के अनुसार गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर खाला नही है वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर से खाला दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हकों की धोषणा करवाकर गै0मु0 खाला को बतौर खातेदार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की होती है।

प्रार्थी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु निवेदन किया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना प. स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादी की वाद भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला की को कलमजन किया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. सिचाई विभाग से सम्बधित है सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जाकर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे। जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 43/38 के प0न0 403/445(17) के किला न0 1 ता 25 की कुल 6.1990हैक भूमि प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त वाद भूमि के प0न0 403/445(17) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.228हैक दर्ज कर रखा है शेष भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खाला दर्ज कर रखा है लेकिन नहर का निर्माण होने पर चकस्कीम रिवाईज होने पर सीऐडी विभाग के द्वारा उक्त खाला को निरस्त किया जाकर संशोधित चक स्कीम के अनुसार अन्यत्र खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिये प0न0 403/445(17) किला न0 1 ता 5 में मौके पर कोई खाला नही है वादी के कब्जा काश्त में है वादी ही काश्त करता आ रहा है।

सीऐडी विभाग के द्वारा चक स्कीम बदलने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व चक स्कीम के अनुसार गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर खाला नही है वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर से खाला दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हकों की धोषणा करवाकर गै0मु0 खाला को बतौर खातेदार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की होती है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना प. स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादी की वाद भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला की को कलमजन किया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 43/38 के प0न0 403/445(17) के किला न0 1 ता 25 की कुल 6.1990हैक भूमि प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि के प0न0 403/445(17) के किला न0 1 ता 5 में गैर मुमकिन खाला दर्ज है सायल का कथन है कि पूर्व सीऐडी चक स्कीम के अनुसार खाला दर्ज किया गया था सीऐडी चक स्कीम बदलने के कारण वर्तमान में उक्त भूमि में खाला नही है।

प्रार्थी ने सिचाई विभाग की रिपोर्ट /तस्दीक पेश की गई है जिसके अनुसार रोही मौजा चक 12 डीपीएन के प0न0 403/445 (17) किला न0 1 ता 5 में सिचाई विभाग के द्वारा किसी प्रकार का खाला स्वीकृत नही है।

सिचाई विभाग की रिपोर्ट/तस्दीक के अनुसार प्रार्थी की भूमि मे किसी प्रकार का खाला दर्ज नही है खाला दर्ज/स्वीकृत करना सिचाई विभाग का कार्य जब सिचाई विभाग ने खाला स्वीकृत ही नही तो प्रार्थी की भूमि में खाला दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि में खाला नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एव सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 डीपीएन के प0न0 403/445(17) किला न0 1 ता 5 में दर्ज खाला को कलमजन किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने की धोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2018/136LRA/14 दिनांक :– 11/01/2021

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 14 / 2018 अनवानी नरपतसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

अनवान :–

1. नरपतसिह पुत्र मदनसिह जाति राजपूत साकिन गोगामेडी तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 14 / 2018 अनवानी नरपतसिह बनाम सरकार में दिनांक 11/01/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 डीपीएन के प0न0 403 / 445(17) किला न0 1 ता 5 में दर्ज खाला को कलमजन किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने की धोषणा की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश पारति हुए है । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner